20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2018 पुनरीक्षण
निगरानी- 5580/2018/ धार / भू.रा.

1. प्रवीण कुमार पिता बंशीलाल कुलमी
2. सुशीलाबाई पत्नी बंशीलाल कुलमी
3. लीलाधर पिता सातुलाल उर्फ सातिया
   निवासीगण ग्राम– कडमाल,तहसील– कुक्षी जिला – धार –आवेदकगण

विरूद्ध

लक्ष्मीदेवी पिता सातूलाल उर्फ सातिया

निवासी ग्राम– कडमाल, तहसील–कुक्षी

जिला– धार —– अनावेदक

श्री मुकेश बेलापुरकर एड. को द्वारा आज दि. 11/9/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13/9/18 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट 11-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अनुविभागीय अधिकारी –कुक्षी जिला– धार द्वारा प्रकरण कमांक 17/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–8–2018 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश, भू– राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय ,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षणआ आवेदन प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध एवं मनमाना होकर निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह क, निर्विवाद रूप से अनोदक द्वारा अधिनस्थ न्यायाल के समक्ष नितान्त समयाबाधित अपील प्रस्तुत की थी. अनावेदक द्वारा अवधि विधान अधिनियम की धारा –5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का आवेदकगण की और से विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया था. अधीनस्थ नयालय ने आवेदक के अभिकथनों की विवेचना किये बिना विवादित आदेश पारित किया है.
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश स्वयं में विरोधाभाषी एवं प्रक्रिया के विपरीत है एक और आवेदक के हित में पारित नामान्तरण को निरस्त किया है दूसरी और अपील की कार्यवाही आगे जारी भी रख है.

Belapurkar 11-9-2018

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5580/18/धार/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	